# Order Sheet [Contd]

Case No. . . . . .of 20 . . . . . SCHREO 9411020

| Date of Order or Proceeding | Order or proceeding with Signature of Presiding Officer | Signature of Parties or Pleaders where necessary |
|---|---|---|
| 10.06.2026 | आवेदक/अभियुक्त रामलाल द्वारा श्री रूपेश शर्मा एल.ए.डी.सी.एस. उपस्थित।<br>राज्य द्वारा श्री सचिन्द्र उपाध्याय, विशेष लोक अभियोजक उपस्थित।<br>प्रकरण आई.ए. नम्बर 01/2026 प्रतिभूति आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., 2023 पर तर्क हेतु नियत है।<br>पुलिस थाना ऊन, जिला खरगोन से अपराध कमांक 225/2020 अंतर्गत धारा 294, 323, 506, 34 भा.द.सं. एवं धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(v-a) अ.जा./अ.ज.जा. (अत्या.निवारण) अधिनियम की केस डायरी प्रतिवेदन सहित प्राप्त।<br>फरियादी/पीड़ित को जमानत के संबंध में सूचना–पत्र दिये जाने के उपरांत आज दिनांक को कोई उपस्थित है।<br>आवेदन–पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया।<br>प्रकरण का अवलोकन किया गया।<br>आवेदक/अभियुक्त की ओर से धारा 483 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रथम जमानत आवेदन–पत्र पेश किया जाना व्यक्त करते हुये समर्थन में तेजुबाई पति रामलाल का शपथ–पत्र पेश करते हुये आवेदक/अभियुक्त को उसका पति होना प्रकट किया है। शपथ–पत्र अनुसार आवेदक/आरोपी की ओर से यह प्रथम प्रतिभूति आवेदन–पत्र होना प्रतीत होता है।<br>आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत प्रथम प्रतिभूति आवेदन–पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक/आरोपी मजदूरपेशा व्यक्ति होकर मजदूरी हेतु बाहर गांव चला गया था तथा नियत पेशी दिनांक को उपस्थित नहीं हो सका था, जिस कारण उसके विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी होकर दिनांक 22.11.2025 को उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, तब से वह अभिरक्षा में है। आरोपी ने कोई अपराध नहीं किया है, उसे झूठा फंसाया गया है, प्रकरण के निराकरण में समय लगना स्वाभाविक है, आरोपी की अनुपस्थिति के संबंध में कारण सदभाविक है। अतः | |

आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत प्रतिभूति आवेदन पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा विरोध प्रकट करते हुये आवेदन–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

**माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के विविध आपराधिक प्रकरण कमांक 8227/2023 में दिनांक 01.04.2023 को पारित आदेशानुसार विवरण निम्नानुसार है : –**

| कमांक | विवरण | जानकारी |
|---|---|---|
| 1 | प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांक | 0225/2020 |
| 2 | प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयन दिनांक | 10.07.2020 |
| 3 | अपराध धारा | धारा 294, 323, 506, 34 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(v-a) अ.जा./अ.ज.जा. (अत्या.निवारण) अधिनियम |
| 4 | आरक्षी केन्द्र | ऊन |
| 5 | आरोपी की गिरफ्तारी तिथि | 22.11.2025 |
| 6 | प्रस्तुत जमानत का कम | प्रथम |
| 7 | अभियोग पत्र पेश अथवा नहीं | पेश |

नोट : माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र कमांक सी/2956/तीन–1–5/57(भाग–10) जबलपुर दिनांक 21.04.2025 के पालन में जानकारी निम्नानुसार है :–

| कं. | प्रथम सूचना कमांक | धारा | आरक्षी केन्द्र | जिला | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|
| – | नि | – | रं | – | क |

इस न्यायालय में लंबित एस.सी.ए.टी.आर. प्रकरण कमांक 94/2020 के अवलोकन से प्रकट है कि आरोपीगण के विरूद्ध दिनांक 19.08.2020 को धारा 294, 323, 506, 34 भा.द.सं. एवं धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(v-a) अ.जा./अ.ज.जा. (अत्या. निवारण) अधिनियम के अंतर्गत अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा आरोपीगण को रिमाण्ड पत्रावली अनुसार दिनांक 21.07. 2020 को जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश देते हुये दिनांक 30.07.2020 को आदेशानुसार जमानत मुचलका पेश किये जाने पर जमानत पर रिहा किया गया था। बाद दिनांक 09.02.2023 को

# Order Sheet [Contd]

Case No. ..... of 20 .....
SCR/RCW 94/2020

| Date of Order or Proceeding | Order or proceeding with Signature of Presiding Officer | Signature of Parties or Pleaders where necessary |
|---|---|---|

अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाना आदेशित किया गया था, जिसके पालन में दिनांक 14.03.2023 को अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर पेश किया गया, जहॉ से उन्हें जेल भेजा गया, तत्पश्चात् दिनांक 17.04.2023 को जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश दिये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा इसी दिनांक को जमानत मुचलका पेश किये जाने पर जमानत पर रिहा किया गया था। इसके पश्चात् विचारण के दौरान अभियोजन साक्ष्य के प्रक्रम पर पुनः दिनांक 20.09.2024 को आरोपीगण के अनुपस्थित होने पर उनके जमानत मुचलके जप्त करते हुये गिरफ्तारी वारंट से तलब किये जाने हेतु आदेश प्रसारित किया गया था तथा आरोपी रामलाल को दिनांक 22.11.2025 को गिरफ्तार कर पेश किये जाने पर आरोपी तब से न्यायिक अभिरक्षा में है।

प्रकरण के निराकरण में विलंब लगने की संभावना है तथा आरोपी की ओर से मजदूरी कार्य से बाहर चले जाने से नियत दिनांक पर उपस्थित नहीं हो पाना बताया गया है। आवेदक दिनांक 22.11.2025 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के निराकरण में विलंब लगने की संभावना है। अतः आवेदन–पत्र अंतर्गत 483 बी.एन.एस.एस. स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थिति हेतु 25,000/– रुपये की नई सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का मुचलका निम्न शर्तों के साथ पेश किया जावे, तो उसे जमानत पर रिहा किया जावे : –

शर्तें : –

01. आवेदक/आरोपी प्रतिभूति एवं बंधपत्रों की शर्तों के अनुसार प्रत्येक तारीख पेशी पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा।

02. आवेदक/आरोपी इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा या धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

03. समरूप अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।
जमानत आदेश सी.आई.एस. में अपलोड हो।
अनुसंधान दैनंदनी वापस की जाकर पावती ली जावे।
प्रकरण पूर्ववत नियत दिनांक 23.06.2026 को पेश हो।

**(अमित रंजन समाधिया)**
विशेष न्यायाधीश
अ.जा./अ.ज.जा. (अत्याचार निवारण)
अधिनियम, मण्डलेश्वर (म.प्र.)